



नरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना

प्रलिस के लयः

सीमा शुलक, पूंजीगत वस्तु, नरियात संबंधी पहल

मेन्स के लयः

सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, व्यवसाय करने में आसानी, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप ।

चर्चा में क्यँ?


हाल ही में वाणजिय और उद्योग मंत्रालय ने अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने तथा [व्यापार सुगमता](#) की सुवधा हेतु [नरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु \(Export Promotion Capital Goods- EPCG\) योजना](#) के तहत वभिन्न प्रक्रियाओं में ढील दी है ।

पूंजीगत वस्तु (Capital Goods):

- पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) वे भौतिक संपत्तयिँ हैं जनिहँ एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के नरिमाण हेतु उपयोग करती है तथा जनिका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग कया जाता है ।
- पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल हैं ।
- पूंजीगत वस्तुएँ तैयार माल नहीं होती बल्कि उनका उपयोग माल को नरिमति करने के लयि कया जाता है ।
- पूंजीगत वस्तु कषेत्र का गुणक प्रभाव होता है और उपयोगकर्त्ता उद्योगों के विकास पर इसका असर पड़ता है क्यँक यिह्नरिमाण गतविधि के अंतर्गत आने वाले शेष कषेत्रों को महत्त्वपूर्ण इनपुट, यानी मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है ।

नरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना:

- परचियः
 - EPCG योजना वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुवधा हेतु शुरू की गई थी, जसिसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय वनरिमाण प्रतस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है ।
 - इस योजना के तहत नरिमाता बना कसिी सीमा शुलक को आकर्षति कयि, उत्पादन से पहले, उत्पादन तथा उत्पादन के बाद वस्तुओं के लयि पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं ।
 - EPCG योजना के तहत बना कसिी प्रतबिंध के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात कया जा सकता है ।
 - पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुलक के दायतिव का भुगतान करने में छूट प्रदान करने वाली यह योजना प्राधकिरण जारी होने की तारीख से 6 वर्षों के भीतर ऐसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बचाए गए शुलक के 6 गुना के नरियात मूल्य के बराबर होता है ।
 - सरल शब्दों में व्यापार पर वदिशी मुद्रा को शामिल करने की बाध्यता है, जो घरेलू मुद्रा में मापे गए ऐसे आयात पर बचाए गए शुलक के 600 प्रतशित के बराबर है । यह नरियात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तुएँ योजना का लाभ उठाने के छह साल के भीतर कया जाना है ।



■ कवरेज:

- नरिमाता नरियातकों के साथ या समर्थन नरिमाताओं के बिना,
- मर्र्चेंट एक्सपोर्टर्स सपोर्टिंग मैनुफैक्चरर्स से जुड़े सेवा प्रदाता तथा
- सामान्य सेवा प्रदाता (CSP) ।

■ नए मानदंड:

- पूंजीगत वस्तुओं के आयात को नरियात दायित्व के अधीन शुल्क मुक्त करने की अनुमति है ।
- योजना के तहत प्राधकिरण धारक (या नरियातक) को छह वर्षों में मूल्य के संदर्भ में बचाए गए वास्तविक शुल्क के छह गुना मूल्य के तैयार माल का नरियात करना होता है ।
- नरियात दायित्व वसितार हेतु अनुरोध पूर्व नरिधारति 90 दिनों की अवधि के बजाय समाप्त के छह महीने के भीतर कथिा जाना चाहयि । हालाँकि छह महीने के बाद और छह साल तक कथिा गए आवेदनों पर प्रतप्राधकिरण 10,000 रुपए का वलिंब शुल्क आरोपति होगा ।
- बदलावों के अनुसार, बलॉक-वार नरियात दायित्व वसितार हेतु अनुरोध समाप्त के छह महीने के भीतर कथिा जाना चाहयि । हालाँकि छह महीने के बाद और छह साल तक कथिा गए आवेदनों हेतु प्रतप्राधकिरण 10,000 रुपये का वलिंब शुल्क देय होगा ।
- EPCG के तहत चूक के लयि स्क्रप्स एमईआईएस (भारत से माल नरियात योजना)/नरियात उत्पाद (आरओडीटीईपी)/आरओएससीटीएल (राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट) पर शुल्क या कर की छूट के माध्यम से सीमा शुल्क का भुगतान करने की सुवधिा वापस ले ली गई है ।

■ EPCG योजना के लाभ:

- EPCG का उद्देश्य नरियात को बढ़ावा देना है तथा भारत सरकार इस योजना की मदद से नरियातकों को प्रोत्साहन और वत्तितीय सहायता प्रदान करती है ।
- इस प्रावधान से नरियातकों को भारी फायदा हो सकता है । हालाँकि उन लोगों के लयि इस योजना के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है जो भारी मात्रा में नरिमाण नहीं करते हैं या पूरी तरह से देश के भीतर नरिमति सामान को बेचने की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत नरिधारति दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव हो सकता है ।

नरियात को बढ़ावा देने के लयि अन्य योजनाएँ:

■ भारत से पण्य वस्तु नरियात योजना:

- इसको [वदिश व्यापार नीति](#) (FTP) 2015-20 में पेश कथिा गया था । इसके तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है ।

भारत योजना से सेवा नरियात:

- इसे भारत की वदिश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत अप्रैल 2015 में 5 वर्षों के लयि लॉन्च कथिा गया था ।
 - इससे पहले वत्तितीय वर्ष 2009-2014 के लयि इस योजना को भारत योजना (SFIS योजना) से सेवा के रूप में नामति कथिा गया था ।
- नरियात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP):
 - यह भारत में नरियात बढ़ाने में मदद करने हेतु [जीएसटी \(वस्तु और सेवा कर\)](#) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लयि पूरी तरह से स्वचालति मारग है ।
- राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी की छूट
 - मार्च 2019 में घोषति RoSCTL को एम्बेडेड स्टेट (Embedded State) और केंद्रीय शुल्कों (Central Duties) तथा उन करों के लयि पेश कथिा गया था जो माल एवं सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस प्राप्त नहीं होते हैं ।

स्रोत: बजिनेस स्टँडर्ड

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/export-promotion-capital-goods-scheme>

